रजिस्ट्री सं. जी-3/डी एल (एन) 04/0009/2003-05 REGD. No. G-3/DL (N)-04/0009/2003—05

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-सा.-21012021-224602
SG-DL-W-21012021-224602

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 02] दिल्ली, जनवरी 8—जनवरी 14, 2021, बृहस्पतिवार /पौष 18— पौष 24, 1942 [रा.रा.रा.क्षे.दि.सं. 266,267,268
No. 02] DELHI, JANUARY 8 —JANUARY 14, 2021, THURSDAY/PAUSHA 18—PAUSHA 24, 1942 [N.C.T.D. No. 266,267,268

भाग II—खण्ड 1
PART II—Sec. 1

U;kf;d vkj eftLV'ªjh ekeyk ij vf/klwpuk,a vkj vkns'k] mPp U;k;ky; dh vf/klwpuk,a vkj Hkkjr ds fuokZpu vk;kx dh fof/kd vf/klwpukvksa rFkk vU; fuokZpu vf/klwpukvksa dk iquZ izdk'ku

Notifications and Orders on Judicial and Magisterial matters, reproduction of High Court Notifications and Statutory Notifications of the Election Commission of India and other Election Notifications

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जनवरी, 2021

l-&e-p-v-@p- l-@**102(104)/2019/638.**—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.—

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./एनएस-II/डीएल-लोकसभा/03/2019.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और श्री शिव कुमार ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले निर्दलीय अभ्यर्थी, श्री शिव कुमार विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पूर्व दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री शिव कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.08.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 06.08.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री शिव कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, श्री शिव कुमार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 19.08.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पूर्वी दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 19.08.2020 के अपने पत्र सं-डीईओ/पूर्व/एसडीएम(ई)/ रिपोर्ट/3(5)/2018/14366-67 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पूर्व दिल्ली द्वारा दिनांक 18.11.2019 के अपने पत्र सं. डीईओ/पूर्व/एसडीएम(ई)/रिपोर्ट/ 3(5)/2018/18283 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री शिव कुमार, निवासी-485, ज्वाला नगर, दिल्ली ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री शिव कुमार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 03-पूर्व दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री शिव कुमार, निवासी- निवासी-485, ज्वाला नगर, दिल्ली को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश से,

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 11th January, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/638.—The following is published for general information:—

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 2020

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/03/2019.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **03-East Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated **16.04.2019** and **Shri Shiv Kumar** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, East Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019, Shri Shiv Kumar, Independent** contesting candidate from **03-East Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, East Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice **dated 06.08.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Shiv Kumar** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 06.08.2019, Shri Shiv Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice.

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Shiv Kumar on 19-08-2019,**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by SDM Election East Delhi District vide his letter **No. DEO (EAST) ACCTTS/3(5)/2018/14366-67 dated 19.08.2019.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM Election East, Delhi District** vide his letter No.**DEO(EAST)ACCTTS/3(5)/2018/18283 dated 18.11.2019,**it has been stated that **Shri Shiv Kumar**, resident of 485, Jwala Nagar, Delhi has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission to satisfied that **Shri Shiv Kumar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Shiv Kumar**, resident of 485, Jwala Nagar, Delhi, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 03-East Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order

RAJESH KUMAR, Spl. Chief Electoral Officer, Delhi.

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जनवरी, 2021

l-&e-p-v-@p- l-@**102(104)/2019/639.**—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.—

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 दिसम्बर, 2020

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./एनएस-II/डीएल-लोकसभा/04/2019 .—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 04-नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और श्री सुनील कुमार ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन

लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 04-नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया (डेमोक्रेटिक) के अभ्यर्थी, श्री सुनील कुमार विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, नई दिल्ली, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री सुनील कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 26.07.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 26.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री सुनील कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री सुनील कुमार द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 10.12.2020 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, नई दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 13.12.2020 के अपने पत्र सं-ओ/डीईओ(एसडीएम)/ई/एनडीडी/2019/4696-97 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), नई दिल्ली द्वारा दिनांक 28.02.2020 के अपने पत्र सं. ओ/डीईओ(एसडीएम)/ई/एनडीडी/2019/1914-15 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री सुनील कुमार, निवासी-फ्लैट नं.-248, विध्या विहार, वेस्ट एन्कलैव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री सुनील कुमार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 04-नई दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सुनील कुमार, निवासी-फ्लैट नं.-248, विध्या विहार, वेस्ट एन्कलैव, पीतमपुरा, दिल्ली-110034 को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार,सचिव

आदेश से

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

NOTIFICATION

Delhi, the 11th January, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/639.—The following is published for general information:—

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 23rd December, 2020

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/04/2019.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **04–New Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated 16.04.2019 and **Shri Sunil Kumar** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, North West District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019,Shri Sunil Kumar, Peoples Party of India (Democratic)** contesting candidate from **04-New Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, New Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice **dated 26.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Sunil Kumar** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 26.07.2019, Shri Sunil Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by Shri Sunil Kumar on 10-12-2019.Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by SDM(E), New Delhi vide his letter **No. O/DEO/SDM (E)/NDD/2019/4696-97 dated 13.12.2019.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM (E), New Delhi** vide his letter. **No.O/ DEO/SDM(E)/NDD/2019/1914-15 dated 28-02-2020,,** it has been stated that **Shri Sunil Kumar**, resident of Flat No. 248, Vidya Vihar, West Enclave, Pitampura Delhi-110034 has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Sunil Kumar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Sunil Kumar**, resident of Flat No. 248, Vidya Vihar, West Enclave, Pitampura Delhi-110034, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 04-New Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order

RAJESH KUMAR, Spl. Chief Electoral Officer, Delhi.

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जनवरी, 2021

l-&e-p-v-@p-l-@**102(104)/2019/640.**—निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.—

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./एनएस-II/डीएल-लोकसभा/05/2019.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 05-उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और श्री राम कुमार ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा

जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर पश्चिम जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 05-उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले भारतीय प्रगतिशील कांग्रेस के अभ्यर्थी, श्री राम कुमार विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर-पश्चिम, रा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री राम कुमार को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.07.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री राम कुमार को निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः, उक्त नोटिस श्री राम कुमार के घर के बाहर दिनांक 14-08-2019, 21-08-2019, 05-09-2019 और 23-12-2019 को 'चस्पा'दिए गए थे, क्योंकि दिए गए पते पर न तो वे स्वयं न ही उनका परिवार रहता मिला। दो भिन्न अवसरों पर दो पड़ोसियों से चस्पा रिपोर्ट की प्राप्त पावती एसडीएम(ई), उत्तर पश्चिम द्वारा दिनांक 30.12.2019 के पत्र सं.डीईओ(एनडब्ल्यु)/एसडीएम(ई)/रिपोर्ट/2019/7808-7811 द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई थी।

और यतः, एसडीएम (ई), उत्तर पश्चिम द्वारा दिनांक 02.03.2020 के अपने पत्र सं. डीईओ(एनडब्ल्यु)/एसडीएम(ई)/रिपोर्ट/2019/1526-1530 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री राम कुमार, निवासी-मकान नं.-207, ब्लोक नं.-जी, पॉकेट-7, सैक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री राम कुमार निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 05-उत्तर पश्चिम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री राम कुमार, निवासी-मकान नं.-207, ब्लोक नं.-जी, पॉकेट-7, सैक्टर-16, रोहिणी, नई दिल्ली को संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश से

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

NOTIFICATION

Delhi, the 11th January, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/640.—The following is published for general information:—

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 2020

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/05/2019.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to 05–North West Delhi Parliamentary Constituency vide its Notification dated 16.04.2019 and **Shri Ram Kumar** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result) thereof, both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, North West District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No.**CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019,Shri Ram Kumar,** Bhartiya Pragatisheel Congress contesting candidate from **05-North West Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, North West, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice **dated 25.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Ram Kumar** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said **Show Cause Notice dated 25.07.2019,Shri Ram Kumar** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was made to serve to Sh. Ram Kumar **on 14-08-2019,21-08-2019, 05-09-2019** and **23-12-2019 through 'CHASPA'** as he himself or his family was not found residing at the given address. The Chaspa report acknowledgment receipt obtained from the two neighbors on two different instances submitted to the Commission by **SDM(E), North-West** vide his letter **No. DEO(NW)/SDM(E)/Reports/2019/7808-7811 dated 30.12.2019.**

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by **SDM(E), North-West** vide his letter No.**DEO/NW/SDM(E)/Reports/2019/1526-1530 dated 02-03-2020,** it has been stated that **Shri Ram Kumar**, resident of House No. 207, Block – G, Pocket –7, Sector-16, Rohini, New Delhi, has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Ram Kumar** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Ram Kumar**, resident of House No. 207, Block – G, Pocket – 7, Sector-16, Rohini, New Delhi, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 05-North West Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order

RAJESH KUMAR, Spl. Chief Electoral Officer, Delhi.

अधिसूचना

दिल्ली, 11 जनवरी, 2021

l-&e-p-v-@p-l-@**102(104)/2019/641.—**निम्नलिखित सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.—

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

आदेश

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

सं. 76/भा.नि.आ./आदे./प्रा./एनएस-II/डीएल-लोकसभा/06/2019.—यतः, आयोग ने रा.रा.क्षे. दिल्ली के 06-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 16.04.2019 की अपनी अधिसूचना के द्वारा लोकसभा के साधारण निर्वाचन आयोजित करने की घोषणा की थी और श्री विकास कुमार मोहल ने पूर्वोक्त निर्वाचन लड़ा था;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 77 (1) के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, वह तिथि जब उसे नाम-निर्देशित किया गया है और उसके परिणाम की घोषणा की तिथि, दोनों तारीखें सम्मिलित, के बीच अपने द्वारा या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा उपगत या अधिकृत निर्वाचन संबंधी सभी खर्चों का, या तो स्वयं या अपने निर्वाचन एजेंट द्वारा, एक पृथक और सही लेखा रखेगा और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से तीस दिनों के भीतर अपने निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी को दर्ज करेगा जो धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा अथवा उसके निर्वाचन एजेंट द्वारा रखे गए लेखे की सत्य प्रतिलिपि होगी।

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89(2) के अधीन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पत्र सं. सीईओ/ईईएम(102)/(49)जीई-2019/49970 दिनांक 09.07.2019 के जरिए जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिमी दिल्ली जिला, रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के 06-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले आपकी अपनी पार्टी (पीपल्स) के अभ्यर्थी, श्री विकास कुमार मोहल विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का कोई लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं।

और यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, पश्चिम दिल्लीरा.रा.क्षे. दिल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली की रिपोर्टों के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के तहत निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल न करने पर, श्री विकास कुमार मोहल को कारण बताओ नोटिस दिनांक 25.07.2019 जारी किया गया था;

और यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप नियम (6) के अनुसार, दिनांक 25.07.2019 के उपर्युक्त कारण बताओ नोटिस के माध्यम से, श्री विकास कुमार मोहलको निदेश दिया गया था कि वे इस नोटिस के प्राप्त होने के 20 दिनों के भीतर लेखे प्रस्तुत न कर पाने का कारण स्पष्ट करते हुए आयोग को लिखित में अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें और साथ ही, निर्वाचन व्यय का अपना लेखा दाखिल करें/अपने लेखे में त्रुटियों को सही करें और उसे संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करें;

और यतः श्री विकास कुमार मोहल द्वारा उक्त नोटिस दिनांक 08.08.2019 को प्राप्त किया गया था। अभ्यर्थी से प्राप्त पावती, एसडीएम, निर्वाचन, पश्चिम दिल्ली जिला द्वारा दिनांक 21.08.2019 के अपने पत्र सं-पीसी-06(डब्ल्युपीसी-06)/डीईओ(डब्ल्यु)/2019/6068 के द्वारा आयोग को प्रस्तुत कर दी गई है।

और यतः, एसडीएम (ई), पश्चिम दिल्ली द्वारा दिनांक 30.09.2020 के अपने पत्र सं. पीसी-06(डब्ल्युपीसी-06)/डीईओ(डब्ल्यु)/2019/8667-69 के द्वारा प्रस्तुत अनुपूरक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि श्री विकास कुमार मोहलनिवासी-मकान नं.-04, ब्लोक नं.-06, गांव-तोशाम, तहसील-तोशाम, जिला-भिवानी, हरियाणा ने न तो कोई अभ्यावेदन दिया है और न ही मूल वाउचर्स सहित विधिवत रूप से हस्ताक्षरित निर्वाचन व्यय के सही लेखे प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त, उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के सम्यक् नोटिस की प्राप्ति के बाद भी उक्त असफलता हेतु न तो कोई कारण बताया न ही स्पष्टीकरण दिया है;

और यतः, भारत निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री विकास कुमार मोहलनिर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं और असफलता के लिए उनके पास कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है;

और यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क में यह अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति-

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या कानून के अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उसके पास उस असफलता के लिए कोई समुचित कारण या न्यायोचित्य नहीं है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा कोई भी व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित रहेगा;

अब इसीलिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा रा.रा.क्षेत्र दिल्ली राज्य के 06-पश्चिम दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के साधारण निर्वाचन, 2019 में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री विकास कुमार मोहलनिवासी-मकान नं.-04, ब्लोक नं.-06, गांव-तोशाम, तहसील-तोशाम, जिला-भिवानी, हरियाणाको संसद के किसी भी सदन या राज्य या संघ राज्य-क्षेत्र की विधानसभा अथवा विधान परिषद के लिए सदस्य चुने जाने या होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निरर्हित घोषित करता है।

आदेश से,

अजय कुमार, सचिव

आदेश से

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

NOTIFICATION

Delhi, the 11th January, 2021

No.CEO/COE/102 (104)/2019/641.—The following is published for general information:—

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 22nd December, 2020

No.76/ECI/ORD/TERR/NS-II/DL-HP/06/2019.—WHEREAS, the Commission had declared to hold the General Election to the House of the People of NCT of Delhi to **06–West Delhi Parliamentary Constituency** vide its Notification dated **16.04.2019** and **Shri Vikas Kumar Mohal** had contested the aforesaid election;

AND WHEREAS, as per Section 77 (1) of the Representation of the People Act, 1951, every candidate at election shall, either by himself or by his election agent, keep a separate and correct account of all expenditure in connection with the election incurred or authorized by him or by his election agent between (the date on which he has been nominated) and (the date of declaration of the result thereof), both dates inclusive & as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within thirty days from the date of election of the returned candidate lodge with the District Election Officer (DEO) account of his election expenses which shall be in a true copy of the account kept by him or by his election agent under Section 77.

AND WHEREAS, as per the report under rule 89(2) of the Conduct of Election Rules, 1961, submitted by the District Election Officer, West Delhi District, NCT of Delhi through the Chief Electoral Officer's letter No. **CEO/EEM(102)/(49)GE-2019/49970 dated 09.07.2019**, **Shri Vikas Kumar Mohal Aapki Apni Party (Peoples),** contesting candidate from **06 West Delhi Parliamentary Constituency** of NCT of Delhi, has failed to lodge any account of his election expenses as required by law.

AND WHEREAS, on the basis of the reports of the District Election Officer, West Delhi, NCT of Delhi and the Chief Electoral Officer, Delhi, a Show Cause notice dated **25.07.2019** was issued by the Election Commission of India under Sub Rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961 to **Shri Vikas Kumar Mohal** for non submission of account of Election expenses;

AND WHEREAS, as per Sub Rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Election Rules, 1961, through the above said Show Cause Notice dated **25.07.2019**, **Shri Vikas Kumar Mohal** was directed to submit his representation in writing in the Commission explaining the reason for non submission of accounts and also to lodge his accounts of election expenses/rectify the defects in his accounts and submit the same the District Election Officer concerned within 20 days from the date of receipt of the notice;

AND WHEREAS, the said notice was received by **Shri Vikas Kumar Mohal** on **08-08-2019**. Acknowledgment receipt obtained from the candidate have been submitted to the Commission by SDM (E) West Delhi vide his letter No. PC-06(WDPC-06)/DEO(W)/2019/6086 dated **21.08.2019**.

AND WHEREAS, in the supplementary report submitted by SDM(E), West Delhi vide his letter **PC-06(WDPC-06)DEO(W)/2019/8667-69 dated 30.09.2019**, it has been stated that **Shri Vikas Kumar Mohal**, resident of House No. 04, Block No. 6, Village Tosham, Tehsil Tosham, Distt. Bhiwani, Haryana has not submitted any representation or a statement of correct account of his election expenses, duly signed along with original vouchers. Further, he has neither furnished any reason nor explanation for the said failure even after receipt of the due notice to the Election Commission of India as well;

AND WHEREAS, the Commission satisfied that **Shri Vikas Kumar Mohal** has failed to lodge an account of election expenses and has no good reason or justification for the failure;

AND WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 stipulates that:-

“If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) Has failed to lodge an account of election expenses within the time and in the manner required by law or under this Act; and

(b) Has no good reason or justification for the failure the Election Commission shall by order published in the official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from date of the under;

NOW THEREFORE, in pursuance of Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Shri Vikas Kumar Mohal**, resident of House No. 04, Block No. 6, Village Tosham, Tehsil Tosham, Distt. Bhiwani, Haryana, the contesting candidate for the General Election to the Lok Sabha of NCT of Delhi, 2019 from 06-West Delhi Parliamentary Constituency of the state of NCT of Delhi to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of Parliament or the Legislative Assembly or Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By Order,

AJOY KUMAR, Secy.

By Order

RAJESH KUMAR, Spl. Chief Electoral Officer, Delhi.

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2020

विषय: शीतकालीन अवकाश 2020 के दौरान अत्यावश्यक मामलों के मौखिक आवेदन व सुनवाई के प्रबंध के सम्बन्ध में

सं. 487 स्थापना/ई-I/ डी.एच.सी.—1. एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि आगामी शीतकालीन अवकाश 2020 के दौरान अत्यावश्यक मामले, यदि कोई हों, की सुनवाई हेतु माननीय मुख्य न्यायाधीश निम्नलिखित माननीय न्यायाधीशगण को सहर्ष मनोनीत करते हैं:-

क्र.सं.	माननीय न्यायाधीशगण के नाम	अवधि	
		से	तक
1.	माननीय न्यायाधीश श्री सुब्रमोणयम प्रसाद माननीय न्यायाधीश श्री अनूप जयराम भम्भानी	26.12.2020	28.12.2020
2.	माननीय न्यायाधीश सुश्री रेखा पल्ली माननीय न्यायाधीश श्री संजीव नरूला	29.12.2020	31.12.2020

3.	माननीय न्यायाधीश सुश्री प्रतिभा एम. सिंह माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी	01.01.2021	03.01.2021

2. इसके अतिरिक्त माननीय मुख्य न्यायाधीश शीतकालीन अवकाश के दौरान पालन किये जाने हेतु निम्नलिखित आदेश सहर्ष पारित करते हैं :-

   (i) माननीय न्यायाधीशगण, अत्यावश्यक सिविल तथा दांडिक मामले तथा ऐसे अन्य मामले जो उनके समक्ष, उपरोक्त तिथियों की अनुसूची के अनुसार प्रस्तुत हों, की सुनवाई हेतु खंडपीठों में एवं अकेले भी बैठेंगे।

   (ii) सामान्यतः माननीय न्यायाधीशगण सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार तथा ऐसे अन्य दिन जब वे उपयुक्त समझें प्रातः 10:30 बजे आभासी न्यायालय में बैठेंगे । यदि किसी दिन निर्धारित मामले उसी दिन समाप्त नहीं होते हैं तो सुनवाई अगले दिन भी जारी रहेगी।

   (iii) यदि किसी आकस्मिक कारण से कोई एक माननीय न्यायाधीश किसी दिन उपस्थित नहीं होते हैं तो दूसरे माननीय न्यायाधीश, इस शर्त के अध्यधीन कि वे खंडपीठ के मामलों को ख़ारिज नहीं करेंगे, अकेले बैठेंगे ।

3. निम्नलिखित नामित अधिकारियों के समक्ष उनके सामने वर्णित तिथियों पर अत्यावश्यक मामलों के मौखिक आवेदन की मौजूदा प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली द्वारा जारी रहेगी:

   (i) श्री प्रवीण उप्पल, निबंधक (मो. 9717394810): दिनांक 26.12.2020

   (ii) श्री मनोज वर्मा, निबंधक (मो. 9717394830): दिनांक 28.12.2020

   (iii) श्री सुनील कुमार कौशल, निबंधक (मो. 9717394805): दिनांक 29.12.2020 तथा 30.12.2020

   (iv) श्री जनार्दन त्रिपाठी, निबंधक (मो. 9717394839): दिनांक 31.12.2020

4. किसी भी अत्यावश्यक मामले के भौतिक रूप से मौखिक आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा ।

5. अत्यावश्यक मामलों का मौखिक आवेदन केवल क्लिक करने योग्य लिंक *https://tinyurl.com/y7se5gl2* या *http://164.100.68.118:8080/DHC_FILING/* द्वारा ही किया जायेगा । उपरोक्त लिंक आगामी शीतकालीन अवकाश के दौरान, रविवार तथा छुट्टियों के अतिरिक्त, सभी कार्य दिवसों पर प्रातः 9:00 बजे से 10:30 बजे तक उपलब्ध रहेगा । उपरोक्त लिंक में वर्णित सभी अनिवार्य स्थान भरे होने चाहिए तथा ऐसा न होने पर उपरोक्त अनुरोध प्रोसेस नहीं किया जायेगा ।

6. अत्यावश्यकता को एक पृष्ठ की पी.डी.ऍफ़ फ़ाइल (जिसका साइज़ 5 एम.बी. से अधिक न हो) अपलोड कर स्पष्ट किया जाये । अपर्याप्त विवरण की दशा में अनुरोध प्रोसेस नहीं किया जायेगा ।

7. उपरोक्त लिंक पर किसी आवेदन के सफलतापूर्वक अपलोड होने पर, अधिवक्ता को अत्यावश्यक रूप से सूचीबद्ध करने की प्रार्थना के सफल पंजीकरण की सूचना देते हुए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर सिस्टम द्वारा एक पुष्टिकरण एस.एम.एस. भेजा जायेगा । परन्तु इसे अत्यावश्यक रूप से सूचीबद्ध करने की प्रार्थना की स्वीकृति नहीं समझा जायेगा।

8. जब मौखिक आवेदन की अनुमति प्रदानित होगी, तब इसकी सूचना एस.एम.एस. द्वारा अधिवक्ता के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर दी जाएगी । यह सुनिश्चित करने के लिए कि मामले को दी गयी तिथि पर सूचीबद्ध किया जाये, पुष्टिकरण एस.एम.एस. के प्राप्त होने के 2 घंटे के भीतर सभी अपेक्षित दस्तावेजों को ऑनलाइन दायर किया जाये । यदि मामला सभी 'दोषों' से मुक्त होगा, तो उसे दी गयी तिथि व समय पर सुनवाई हेतु सूचीबद्ध किया जायेगा ।

9. ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठतम संयुक्त निबंधक (न्यायिक)/संयुक्त निबंधक मामलों को चिन्हित करने तथा वाद सूची के प्रबंध व उससे सम्बंधित सभी मामलों का निरीक्षण करेंगे। वह कमरा सं. 101, प्रथम तल, 'ए' ब्लॉक, फ़ोन न. 23388470 में बैठेंगे ।

आदेशानुसार

मनोज जैन, महानिबंधक

HIGH COURT OF DELHI AT NEW DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 22nd December, 2020

SUBJECT: ARRANGEMENT OF MENTIONING AND HEARING OF URGENT MATTERS DURING WINTER VACATION - 2020

No.487/Estt/E-I/DHC.—1. It is hereby notified that Hon'ble the Chief Justice is pleased to nominate the following Hon'ble Judges for hearing urgent matters, if any, during ensuing Winter Vacation 2020:-

S.No.	Name of the Hon'ble Judges	Period	
		From	To
1.	Hon'ble Mr. Justice Subramonium Prasad Hon'ble Mr. Justice Anup Jairam Bhambhani	26.12.2020	28.12.2020
2.	Hon'ble Ms. Justice Rekha Palli Hon'ble Mr. Justice Sanjeev Narula	29.12.2020	31.12.2020
3.	Hon'ble Ms. Justice Prathiba M. Singh Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Ohri	01.01.2021	03.01.2021

2. Hon'ble the Chief Justice is further pleased to pass the following orders for being followed during the course of winter vacation:-
   (i) The Hon'ble Judges will sit in Division Benches and also singly to hear urgent Civil and Criminal matters and such other matters as may be placed before them as per the schedule of dates given above.
   (ii) Ordinarily the Hon'ble Judges will sit in Virtual Court on Monday, Wednesday and Friday and such other days as they may think fit at 10.30 A.M. The sitting may continue for the next succeeding day if matters fixed for any day are not finished on that day.
   (iii) If one of the Hon'ble Judges is not available on any day for any unforeseen reason, the other Hon'ble Judge may sit alone subject to the condition that the Hon'ble Judge shall not dismiss the Division Bench matters.
3. The existing practice of mentioning of urgent matters through online system shall continue before the designated Officers mentioned below on the dates mentioned against them:
   I. Mr. Parveen Uppal, Registrar (Mob. No.9717394810) on 26.12.2020
   II. Mr. Manoj Verma, Registrar (Mob. No.9717394830) on 28.12.2020
   III. Mr. Sunil Kumar Koushal, Registrar (Mob. No.9717394805) on 29.12.2020 and 30.12.2020
   IV. Mr. Janardan Tripathi, Registrar (Mob. No.9717394839) on 31.12.2020
4. No physical mentioning of urgent matters shall be entertained.
5. Mentioning of the extremely urgent matters would be made only through clickable link *https://tinyurl.com/y7se5gl2* OR *http://164.100.68.118:8080/DHC_FILING/*. The aforesaid link would be available from 09.00 A.M. to 10.30 A.M. on all the working days during the ensuing winter vacation, except Sundays and Holidays. All the mandatory fields mentioned in said link must be filled up, failing which the said request will not be processed.
6. Urgency be explained clearly by uploading a pdf file comprising of one page (not more than 5 MB in size). The request shall not be processed in case of insufficient particulars.
7. Once an application is successfully uploaded on the abovementioned link, a system generated SMS confirmation will be sent on the registered mobile number intimating the advocate of successful registration of the prayer for urgent listing. This however, shall not be construed as request for urgent listing having been allowed.
8. Once the mentioning is allowed, an SMS shall be sent to the advocate on the registered mobile number intimating the same. All requisite documents be transmitted be filed online within two hours of receiving of confirmatory SMS to ensure that the matter gets listed for the given date. If the matter is clear from all 'defects', it will be listed on the given date and time for hearing.
9. The senior most Joint Registrar(Judicial)/Joint Registrar on duty will monitor the work of marking of cases as well as preparation of cause list and all the matters related thereto. He/She will sit in Room No.l0l, 1st Floor, 'A' Block, Tel. No.23388470.

By Order

MANOJ JAIN, Registrar General

अधिसूचना

दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2020

विषय: शीतकालीन अवकाश 2020 के दौरान अत्यावश्यक मामलों के मौखिक आवेदन व सुनवाई के प्रबंध के सम्बन्ध में

सं. 488/ स्थापना/ई-I/ डी.एच.सी.—1. इस न्यायालय की अधिसूचना सं. 487/स्थापना/ई-1/डी.एच.सी. दिनांक 22.12.2020 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि माननीय मुख्य न्यायाधीश आगामी शीतकालीन अवकाश 2020 के दौरान अत्यावश्यक मामले, यदि कोई हों, की सुनवाई हेतु निम्नलिखित माननीय न्यायाधीशगण को सहर्ष मनोनीत करते हैं:-

क्र.सं.	माननीय न्यायाधीशगण के नाम	अवधि	
		से	तक
1.	माननीय न्यायाधीश सुश्री प्रतिभा एम. सिंह माननीय न्यायाधीश श्री सुब्रमोणयम प्रसाद	26.12.2020	28.12.2020
2.	माननीय न्यायाधीश श्री विभु बाखरू माननीय न्यायाधीश श्री प्रतीक जालान	29.12.2020	31.12.2020
3.	माननीय न्यायाधीश श्री अनूप जयराम भम्भानी माननीय न्यायाधीश श्री मनोज कुमार ओहरी	01.01.2021	03.01.2021

2. दिनांक की अधिसूचना की शेष अंतर्वस्तु वही रहेगी 22.12.2020।

आदेशानुसार

मनोज जैन, महानिबंधक

NOTIFICATION

Delhi, the 24th December, 2020

SUBJECT: ARRANGEMENT OF MENTIONING AND HEARING OF URGENT MATTERS DURING WINTER VACATION - 2020

No. 488/Estt/E-I/DHC.—1.In partial modification of this Court's Notification No. 487/Estt/E-I/DHC, dated 22.12.2020, it is hereby notified that Hon'ble the Chief Justice is pleased to nominate the following Hon'ble Judges for hearing urgent matters, if any, during ensuing Winter Vacation 2020:-

S.No.	Name of the Hon'ble Judges	Period	
		From	To
1.	Hon'ble Ms. Justice Prathiba M. Singh Hon'ble Mr. Justice Subramonium Prasad	26.12.2020	28.12.2020
2.	Hon'ble Mr. Justice Vibhu Bakhru Hon'ble Mr. Justice Prateek Jalan	29.12.2020	31.12.2020
3.	Hon'ble Mr. Justice Anup Jairam Bhambhani Hon'ble Mr. Justice Manoj Kumar Ohri	01.01.2021	03.01.2021

2. Rest of the contents of notification dated 22.12.2020 shall remain same.

BY ORDER

MANOJ JAIN, Registrar General

ploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.01.21 13:14:38 +05'30'